



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 19 जनवरी, 2015 ई0

षोष 29, 1936 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 343/XXXVI(3)/2015/82(1)/2014

देहरादून, 19 जनवरी, 2015

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित “मदरहुड विश्वविद्यालय विधेयक, 2014” पर दिनांक 07 जनवरी, 2015 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 05 वर्ष, 2015 के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मदरहुड विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 05 वर्ष 2015)

तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा एवं दन्त चिकित्सा शिक्षा, विधि शिक्षा, उद्भयन शिक्षा, सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान एवं अन्य क्षेत्रों की शिक्षण, प्रशिक्षण एवं शोध कार्य से सम्बन्धित शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत 'मदरहुड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलाजी सोसाईटी, रूडकी द्वारा प्रायोजित मदरहुड विश्वविद्यालय, रूडकी नामक निजी विश्वविद्यालय की स्थापना एवं उसके निगमन के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

अध्याय – एक प्रारम्भिक

- | | | |
|----------------------------|----|---|
| संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ | 1. | (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मदरहुड विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 है।
(2) यह राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना जारी किये जाने की तारीख से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा। |
| परिभाषाएं | 2. | जब तक कि सन्दर्भ में अन्यथा कोई अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में:—
(क) 'विद्या परिषद्' से विश्वविद्यालय के विद्या परिषद् अभिप्रेत है;
(ख) 'प्राधिकारी' से विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों अभिप्रेत है;
(ग) 'व्यवस्थापक मण्डल' से विश्वविद्यालय के व्यवस्थापक मण्डल अभिप्रेत है;
(घ) 'प्रबंध मण्डल' से विश्वविद्यालय के प्रबंध मण्डल अभिप्रेत है;
(ङ) 'पाठ्यक्रम मण्डल' से विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम मण्डल अभिप्रेत है;
(च) 'परीक्षा मण्डल' से विश्वविद्यालय की परीक्षा मण्डल अभिप्रेत है;
(छ) 'कुलाधिपति', 'प्रतिकुलाधिपति', 'कुलपति', 'प्रतिकुलपति', 'कुल सचिव', 'परीक्षा नियंत्रक' एवं 'वित्त अधिकारी' से क्रमानुसार विश्वविद्यालय के 'कुलाधिपति', 'प्रतिकुलाधिपति', 'कुलपति', 'प्रतिकुलपति', 'कुल सचिव', 'परीक्षा नियंत्रक' एवं 'वित्त अधिकारी' अभिप्रेत है;
(ज) 'परिसर' से विश्वविद्यालय के परिसर अभिप्रेत है;
(झ) 'संघटक महाविद्यालय' से विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित तथा प्रबन्धित कोई महाविद्यालय या संस्था अभिप्रेत है;
(ञ) 'कैरियर एकेडमी सेंटर' से ऐसे केन्द्र अभिप्रेत है, जो विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित, मान्य एवं अनुरक्षित हो, जिसका उपयोग दूरदृश्य प्रसारण प्राप्त करने, ई-मेल, इण्टरनेट, पारस्परिक संवाद, प्रशिक्षण, व्याख्यान, गोष्ठी एवं कार्यशाला आयोजित करने, विद्यार्थियों के लिए सलाह, परामर्श एवं अन्य सहायता के उद्देश्य से किया गया हो;
(ट) परिसर के 'निदेशक' या संघटक महाविद्यालय के सम्बन्ध में प्राचार्य/डीन से उस परिसर या संघटक महाविद्यालय का प्रधान अभिप्रेत है और जहां प्राचार्य/डीन नहीं है, उप प्राचार्य या तत्समय प्राचार्य/डीन के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति भी सम्मिलित है;
(ठ) 'दूरस्थ शिक्षा पद्धति' से राज्य के भीतर शिक्षा की वह पद्धति अभिप्रेत है, जिसमें शिक्षण के लिए ऐसे सूचना प्रौद्योगिकी और संचार माध्यमों जैसे मल्टीमीडिया, प्रसारण, दूर दृश्य प्रसारण (टेलीकास्टिंग), इण्टरनेट पर ऑनलाईन, दूरसंचार की अन्य पारस्परिक विधियां, ई-मेल, इण्टरनेट, कम्प्यूटर, पारस्परिक संवाद, ई-लर्निंग, पत्राचार पाठ्यक्रम, गोष्ठी, सम्पर्क कार्यक्रम या ऐसे किसी दो या अधिक माध्यमों का संयुक्त रूप से उपयोग किया गया हो; |

- (ड) 'जमा राशि' से विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों से लिये गए ऐसी राशि अभिप्रेत है, जो कि वापसी योग्य है;
- (ढ) 'संकायाध्यक्ष' से विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्ष अभिप्रेत है;
- (ण) 'विभाग' से विश्वविद्यालय के विभाग (शैक्षिक इकाई) अभिप्रेत है जिसमें एक या एक से अधिक विषयों में अध्ययन व शोध कार्य किया जा रहा हो;
- (त) 'कर्मचारी' से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी कर्मचारी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय, या किसी संघटक महाविद्यालय के अध्यापक और अन्य कर्मचारी भी सम्मिलित है;
- (थ) 'वित्त समिति' से विश्वविद्यालय की वित्त समिति अभिप्रेत है;
- (द) 'संकाय' से विश्वविद्यालय की संकाय अभिप्रेत है;
- (ध) 'शुल्क' से विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों से लिये गए ऐसी राशि अभिप्रेत है जोकि शुल्क के तहत आती है एवं वापसी योग्य नहीं है;
- (न) 'सरकार' से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है;
- (प) 'हाल' अथवा 'छात्रावास' से विश्वविद्यालय अथवा संघटक महाविद्यालय द्वारा अनुरक्षित तथा मान्य छात्रों के आवास की इकाई अभिप्रेत है;
- (फ) 'मदरहुड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलाजी सोसाइटी' से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1880 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी अभिप्रेत है, जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय ग्राम करौदी, पोस्ट भगवानपुर, रूडकी में अवस्थित है;
- (ब) 'प्रायोजित संस्था' (प्रमोटिंग सोसाइटी) से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के तहत रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी, मदरहुड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलाजी सोसाइटी, अभिप्रेत है;
- (भ) 'विहित' से 'परिनियमों द्वारा विहित' अभिप्रेत है;
- (म) 'स्थायी निवासी' से राज्य के ऐसे निवासी अभिप्रेत है जिसके पास राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनाये गये नियमों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य में मूल निवास/स्थायी निवास का वैध प्रमाण पत्र हो;
- (य) 'क्षेत्रीय केन्द्र' से ऐसे केन्द्र अभिप्रेत है, जिसकी स्थापना या अनुरक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किसी क्षेत्र में स्थित अध्ययन केन्द्रों के समन्वय, पर्यवेक्षण तथा ऐसे केन्द्र में अन्य प्रदत्त कार्यों के निष्पादन के उद्देश्य से प्रबन्ध मण्डल द्वारा किया गया हो;
- (र) 'राज्य' से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है;
- (ल) 'परिनियम, नियम और अध्यादेश' से विश्वविद्यालय के 'परिनियम', 'नियम' और 'अध्यादेश' अभिप्रेत है;
- (व) 'अध्ययन केन्द्र' से विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसे केन्द्र अभिप्रेत है, जिसकी स्थापना एवं अनुरक्षण विद्यार्थियों को सलाह, परामर्श या अन्य सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया हो;
- (श) 'अध्यापक' से आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य/व्याख्याता एवं ऐसे अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है, जिससे विश्वविद्यालय या इसके किसी परिसर या किसी संघटक महाविद्यालय में शिक्षा प्रदान करने, या शोध कार्य के संचालन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदण्डों के अनुरूप नियुक्त किया जाये और इसके अन्तर्गत किसी परिसर का निदेशक या संघटक महाविद्यालय का प्राचार्य/डीन भी आता है;
- (ष) 'यू0जी0सी0' से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अभिप्रेत है;
- (स) 'विश्वविद्यालय' से इस अधिनियम के अधीन प्रस्तावित मदरहुड विश्वविद्यालय अभिप्रेत है;
- (ह) 'निकाय' से विश्वविद्यालय का निकाय अभिप्रेत है;
- (स) 'कुलाध्यक्ष' (विजिटर) से विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष अभिप्रेत है।

अध्याय - दो

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

विश्वविद्यालय की
स्थापना के लिए
प्रस्ताव

3. (1) प्रायोजित संस्था अर्थात् मदरहुड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलोजी सोसाइटी, रूडकी को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार मदरहुड विश्वविद्यालय स्थापित करने का अधिकार होगा।
- (2) प्रायोजित संस्था द्वारा राज्य सरकार को विश्वविद्यालय स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव सहित एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें निम्न विवरण प्रस्तुत किये गये:-
- (क) प्रायोजित संस्था के पूर्ण विवरण सहित विश्वविद्यालय के उद्देश्य;
- (ख) विश्वविद्यालय की प्रास्थिति, विस्तार और भूमि की उपलब्धता;
- (ग) आगामी पांच वर्षों में विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जाने वाले शैक्षणिक एवं अनुसंधान कार्यक्रमों की प्रकृति तथा प्रकार;
- (घ) संकायों की प्रकृति, आरम्भ किये जाने वाले पाठ्यक्रम तथा शोध कार्य;
- (ङ) विश्वविद्यालय परिसर का विकास जैसे भवन, उपस्कर तथा संरचनात्मक सुख सुविधाएं;
- (च) आगामी पांच वर्षों के लिए पूंजीगत व्यय का चरणबद्ध परिचय;
- (छ) मदवार आवर्ती व्यय, वित्तीय स्रोत एवं प्रत्येक छात्र के लिए अनुमानित व्यय;
- (ज) संसाधन जुटाने की योजना तथा उसकी पूंजीगत लागत और उन्हें चुकाने के तरीके;
- (झ) आन्तरिक संसाधनों-विद्यार्थियों से लिये जाने वाले शुल्क, परामर्श एवं विश्वविद्यालय के उद्देश्यों से सम्बन्धित अन्य गतिविधियों से प्रत्याशित राजस्व एवं अन्य प्रत्याशित आय द्वारा आन्तरिक निधियों के सृजन की योजना;
- (ञ) संस्था की लागत पर आने वाले व्यय, राज्य के मूल निवासी छात्रों के लिए शिक्षण शुल्कों में दी जाने वाली रियायतों या छूट की सीमा, निःशुल्कता और छात्रवृत्तियां तथा अप्रवासी भारतीयों एवं विदेशों से आने वाले विद्यार्थियों से विभिन्न दरों पर, यदि कोई हो, लिये जाने वाले शुल्कों के स्वरूप का ब्योरा;
- (ट) प्रायोजित संस्था में उपलब्ध सम्बन्धित विषयों में विशेषज्ञता एवं अनुभव की अवधि तथा वित्तीय संसाधन;
- (ठ) विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों की चयन पद्धति; तथा
- (ड) विश्वविद्यालय की स्थापना से पूर्व ऐसी अन्य शर्तों की, जिनकी पूर्ति राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित हो, पूर्ति की प्रास्थिति।

विश्वविद्यालय की
स्थापना

4. (1) राज्य सरकार आवश्यक जांच करने के उपरान्त संतुष्ट है कि प्रायोजित संस्था ने सभी शर्तों और आवश्यकताओं को पूर्ण कर लिया गया है और उसे 'मदरहुड विश्वविद्यालय' ज्ञात नाम से उत्तराखण्ड राज्य में विश्वविद्यालय स्थापित किया जाता है।
- (2) विश्वविद्यालय, 'मदरहुड विश्वविद्यालय' के नाम से एक निगमित निकाय होगा और उसे शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी तथा वह अपने नाम से वाद दायर कर सकेगा और उस पर वाद दायर किया जा सकेगा।
- (3) (क) विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर रूडकी, उत्तराखण्ड में अवस्थित होगा तथा उसका अन्य परिसर अथवा क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्र की स्थापना अन्य स्थानों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य संवैधानिक निकायों द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार किया जायेगा। विश्वविद्यालय पाँच वर्ष की अवधि के बाद राज्य में, राज्य सरकार की पूर्वानुमति से अपना द्वितीय परिसर स्थापित कर सकेगा, परन्तु पर्वतीय क्षेत्रों में 2500 फुट से ऊपर द्वितीय कैम्पस खोलने की कोई समय-सीमा नहीं होगी।
- (ख) विश्वविद्यालय को अन्य विभाग/विषय प्रारम्भ करने के लिये, यदि अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता हो, जैसे कि संवैधानिक निकायों के मानकानुसार आवश्यकता हो, विश्वविद्यालय या तो मुख्य परिसर से सटा हुआ या अलग रूडकी क्षेत्र जपनद हरिद्वार में ही स्थापित कर सकता है।

- (4) विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, प्रतिकुलाधिपति, कुलपति, प्रति कुलपति, कुल सचिव एवं व्यवस्थापक मण्डल, प्रबन्ध मंडल एवं विद्या परिषद के सदस्य इस प्रकार स्थापित विश्वविद्यालय में तत्समय उक्त पदों पर कार्य करते हुये नियमित निकाय गठित कर सकेंगे और विश्वविद्यालय के नाम से वाद दायर कर सकेंगे एवं उन पर वाद चलाया जा सकता है।
- (5) उपधारा (1) के अधीन विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने पर विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए अधिगृहीत, निर्मित, व्यवस्थित अथवा सृजित भूमि, चल एवं अचल सम्पत्तियां, प्रायोजित संस्था की सम्पत्तियों को छोड़कर, विश्वविद्यालय को अन्तरित एवं उसमें निहित हो जायेंगी।
- (6) विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध भूमि, भवन, विभिन्न विभागों/संकायों के संचालित समस्त पाठ्यक्रम हेतु सम्बन्धित सर्वोच्च नियामक आयोग के मानकों के अनुसार होना आवश्यक होगा।
- (7) विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर, परिसर व अध्ययन केन्द्र आदि में आधारभूत एवं अन्य सुविधाएं यू0जी0सी0 एवं शीर्ष वैधानिक नियामक संस्थाओं के मानकों के अनुरूप होगी।

विश्वविद्यालय का वित्तीय सहायता आदि के लिए हकदार न होना

5. विश्वविद्यालय स्वः वित्तपोषित होगा और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन, या नियंत्रणाधीन किसी अन्य निकाय, या निगम से किसी सहायता, अनुदान या किसी अन्य वित्तीय सहायता की न तो कोई मांग करेगा और न ही उसके लिए हकदार होगा। हालांकि विश्वविद्यालय ऐसे किसी भी अनुदान को प्राप्त करने का हकदार होगा, जो कि राज्य सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रित अन्य निकाय या निगमित द्वारा संचालित विशेष योजना के अन्तर्गत इस तरह के अनुदान की शर्तों के अधीन दिया जा रहा हो। इससे विश्वविद्यालय के स्वः वित्तपोषित स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

किसी संस्था को सम्बद्ध करने की शक्ति न होना

6. राज्य के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्र, एवं कैरियर एकेडमी सैण्टर्स हो सकते हैं, किन्तु उसे किसी अन्य महाविद्यालय या संस्था को सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्ति नहीं होगी। विश्वविद्यालय अन्य अनुसंधान संस्थान व अन्य विश्वविद्यालयों के साथ सामूहिक अनुसंधान कार्य एवं शिक्षण कार्य कर सकता है।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

7. जिन उद्देश्यों के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है, वे निम्नवत् हैं:-
 - (क) तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा एवं दन्त चिकित्सा शिक्षा, विधि शिक्षा, उद्भयन शिक्षा, सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान एवं अन्य विषयों एवं अन्य शाखाओं, जैसे की विश्वविद्यालय उचित समझे, में अध्ययन, अध्यापन, परिक्षण एवं शोध कार्यों को प्रदान करना एवं व्यवस्था करना;
 - (ख) तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा एवं दन्त चिकित्सा शिक्षा, विधि शिक्षा, उद्भयन शिक्षा, सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान एवं अन्य क्षेत्रों आदि में परिसर एवं संघटक महाविद्यालयों की स्थापना तथा सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री एवं पी. एच. डी. डिग्री, जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामकरण किया गया हो को स्थापित करना एवं प्रदान करना, किन्तु विश्वविद्यालय को अपने उद्देश्यों को प्रोत्साहन हेतु ऐसे नये अन्य डिप्लोमा और प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम प्रदान करने का अधिकार होगा;
 - (ग) उपरोक्त (ख) में उल्लिखित पाठ्यक्रमों के लिए दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से शिक्षण प्रदान करने के लिए अनवरत शिक्षा के अधीन राज्य में संघटक केन्द्र की स्थापना;
 - (घ) परीक्षा केन्द्रों को स्थापित करना;
 - (ङ) विश्वविद्यालय को डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र व अन्य शैक्षिक उपलब्धि, परीक्षाओं अथवा अन्य प्रणाली के आधार पर प्रदान करना;
 - (च) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं सम्बन्धित राज्य सरकार की सहमति से अन्य राज्यों में परिसर की स्थापना करना;

- (छ) विश्वविद्यालय द्वारा तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा एव दन्त चिकित्सा शिक्षा, विधि शिक्षा, उड्डयन शिक्षा, सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान एवं अन्य क्षेत्रों में अनुसंधान एवं नवीन परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसंधान एवं विकास केन्द्र की स्थापना द्वारा अध्ययन गोष्ठियाँ, अधिवेशन, कार्यशिविर, शैक्षणिक कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, प्रकाशन, प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं समूह अध्ययन, इत्यादि करना;
- (ज) वाह्य अध्ययन, विस्तार कार्यक्रम एवं वाह्य क्षेत्रीय गतिविधियों द्वारा समाज के विकास में अपना योगदान देना;
- (झ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रावधान एवं नियमों के अन्तर्गत ऑफ-शोर कैम्पस की स्थापना करना।
- (ञ) जैसे कि आवश्यक हो, ऐसे सभी कार्य करना, जो विश्वविद्यालय के समस्त या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, प्रासंगिक एवं सहायक हो।

विश्वविद्यालय की
शक्तियाँ

8. (1) विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी; अर्थात् :-

- (क) तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा एव दन्त चिकित्सा शिक्षा, विधि शिक्षा, उड्डयन शिक्षा, सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान एवं अन्य विषयों एवं अन्य क्षेत्रों में अध्ययन, अध्यापन, परीक्षण एवं शोध कार्य, शिक्षण व्यवस्था करना तथा अनुसंधान एवं ज्ञान के अभिवर्धन और प्रसार का प्राविधान करना;
- (ख) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ऐसी अन्य समस्त गतिविधियाँ सम्पादित करना, जो आवश्यक अथवा साध्य हो;
- (ग) ऐसे व्यक्तियों के लिए परीक्षाएं आयोजित करना तथा उन्हें उपाधियों या अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएँ संस्थित और प्रदान करना जिन्होंने:-
- (1) विश्वविद्यालय या इसके परिसर या किसी संघटक महाविद्यालय या दूरस्थ शिक्षा पद्धति के अधीन क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों या कैरियर एकेडमी सैण्टर्स में शिक्षण पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो; अथवा
- (2) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय में, या किसी दूरस्थ शिक्षा पद्धति के अधीन शोध कार्य किया हो;
- (घ) परिनियमों/प्राविधानों में अभिकथित रीति से और शर्तों के अधीन मानद उपाधियों या अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएँ प्रदान करना;
- (ङ) परिनियमों के अनुसार अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ तथा पुरस्कार संस्थित एवं प्रदान करना;
- (च) ऐसी फीस, जमा, बिल, बीजक की मांग करना और प्राप्त करना तथा प्रसार संग्रह करना जो यथास्थिति, परिनियमों या नियमों द्वारा नियत किये जायें;
- (छ) ऐसे क्षेत्रीय केन्द्रों और अध्ययन केन्द्रों की स्थापना करना, अनुसंधान करना एवं मान्यता प्रदान करना जैसे समय-समय पर विश्वविद्यालय के परिनियमों में निर्दिष्ट रीति द्वारा निर्धारित किया जाए;
- (ज) विद्यार्थियों और कर्मचारियों के लिए शिक्षा के अतिरिक्त पाठ्येत्तर अन्य गतिविधियों की व्यवस्था करना;
- (झ) विश्वविद्यालय अथवा इसके परिसर या संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों, अनुसंधान केन्द्रों तथा कैरियर एकेडमी सैण्टर्स में संकाय, अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करना;
- (ञ) प्रायोजित संस्था की पूर्व अनुमति से विश्वविद्यालय, इसके परिसर या किसी संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों, अनुसंधान केन्द्रों और कैरियर एकेडमिक सैण्टर्स के प्रयोजनार्थ दान और किसी प्रकार के उपहार प्राप्त करना तथा न्यास और विन्यास की सम्पत्तियों सहित किसी चल, अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण करना, धारण करना, प्रबन्ध करना, अनुसंधान करना और निपटारा करना;

- (ट) विश्वविद्यालय, इसके परिसर या किसी संघटक महाविद्यालय के छात्रों के लिए हाल/छात्रावास स्थापना और उनका अनुरक्षण करना और निवास स्थानों को निश्चित करना;
- (ठ) आवास का नियंत्रण करना, पर्यवेक्षण करना और समस्त श्रेणी के कर्मचारियों एवं छात्रों के मध्य अनुशासन पर नियंत्रण रखना तथा आचार संहिता सहित ऐसे कर्मचारियों की सेवा शर्त विनिर्दिष्ट करना;
- (ड) शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं सहायक कर्मचारियों और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना;
- (ढ) भारत या विदेशों के संस्थानों, संगठनों, विश्वविद्यालयों, व्यक्ति विशेषों, उद्योगों एवं संस्थाओं के साथ ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए सहकार्य और सहयोग करना, जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करें;
- (ण) दूरस्थ शिक्षा पद्धति और ऐसी रीति की व्यवस्था करना जिससे विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों के अनुसार दूरस्थ शिक्षा को आयोजित किया जा सके;
- (त) शिक्षकों, अध्यापकों, पाठ लेखकों, मूल्यांककों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए पुनश्चर्चा पाठ्यक्रम, अभिविन्यास पाठ्यक्रम, कार्यशालाएँ, संगोष्ठियाँ और अन्य कार्यक्रम आयोजित और संचालित करना;
- (थ) विश्वविद्यालय, इसके परिसर या किसी संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों, अनुसंधान केन्द्रों और कैरियर एकेडमिक सैण्टर्स में विशिष्ट समितियों के माध्यम से एवं विद्या परिषद के अनुमोदन से प्रवेश के लिए मानक अवधारित करना;
- (द) विश्वविद्यालय, इसके परिसर या किसी संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों, अनुसंधान केन्द्रों और कैरियर एकेडमिक सैण्टर्स में किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी के लिए योग्यता के आधार पर विशेष व्यवस्था करना;
- (ध) विश्वविद्यालय द्वारा तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा एवं दन्त चिकित्सा शिक्षा, विधि शिक्षा, उद्बन्धन शिक्षा, सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान एवं अन्य विषयों में स्नातक, स्नातकोत्तर, डॉक्टर ऑफ फिलासफी, डॉक्टर ऑफ साइन्स की उपाधियों एवं शोध कार्य के लिए ऐसे पाठ्यक्रम निर्धारित करना जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग व अन्य वैधानिक परिषदों के अन्तर्गत आते हैं, किन्तु अपने विषयों में डिप्लोमा प्रमाण-पत्र आदि दिये जाने के सम्बन्ध में अपना पाठ्यक्रम आरम्भ करने का विश्वविद्यालय को अधिकार प्राप्त होगा;
- (न) विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियाँ, प्रायोजित संस्था की गतिविधियों से स्पष्टतया विलग होगी;
- (प) फिल्म कैसेट, टेप, वीडियो कैसेट, सी.डी., डी.वी.डी. और अन्य साफ्टवेयर इत्यादि सहित शैक्षिक सामग्री तैयार करने की व्यवस्था करना;
- (फ) अन्य विश्वविद्यालयों संस्थाओं एवं उच्च शिक्षा केन्द्रों की परीक्षाओं अथवा अध्ययन की अवधि (पूर्ण अथवा आंशिक) को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं अथवा अध्ययन की अवधि के समतुल्य मान्यता प्रदान करना और उनको दी गयी मान्यता को किसी भी समय समाप्त करना;
- (ब) व्यवस्थापक मण्डल के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर या उसके बिना विश्वविद्यालय के लिए धन जुटाना, संग्रह करना, स्वीकार करना और ऋण प्राप्त करना,
- (म) सविदा करना, उसका निष्पादन करना, उसमें परिवर्तन करना या उसे समाप्त करना;
- (म) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए यथा आवश्यक व संभव ऐसे सभी अन्य कार्य करना, चाहे वे उपर्युक्त शक्तियों के आनुषंगिक हों या न हों;
- (य) एक कानूनी इकाई के रूप में अपने प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से किसी भी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण में अपने नाम से वाद लाना और वाद दायर करना।

- (2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी और उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना विश्वविद्यालय और दूरस्थ शिक्षा प्रणालियों को प्रोत्साहित करने तथा ऐसी प्रणालियों के शिक्षण, मूल्यांकन और शोध मानक निर्धारित करने के लिए वे सभी उपाय करना विश्वविद्यालय का कर्तव्य होगा, जो वह उचित समझे और इस कार्य के निष्पादन हेतु विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों, अनुसंधान केन्द्रों और कैरियर एकेडमिक सैण्टर्स को चाहे उन्हें विशेषाधिकार स्वीकृत हुए हों अथवा नहीं अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा संस्थान को अनुदानों के आवंटन एवं संवितरण की शक्ति सहित ऐसी शक्तियां प्राप्त होंगी, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें।

विश्वविद्यालय में सभी वर्ग, जाति एवं लिंग की पहुंच होगी

9. विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों के लिए चाहे वे किसी वर्ग, जाति या लिंग के हों, के प्रवेश के लिए खुला रहेगा ;

परन्तु यह कि इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा उत्तराखण्ड के विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए विशेष प्राविधान करने का प्रतिबन्ध है ;

परन्तु यह और कि इस धारा के किसी बात के होते हुये भी यह नहीं समझा जायेगा कि विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों, अनुसंधान केन्द्रों और कैरियर एकेडमिक सैण्टर्स द्वारा किसी भी पाठ्यक्रम में परिनियमों द्वारा अवधारित संख्या से अधिक छात्रों को प्रवेश देना अपेक्षित है।

राष्ट्रीय प्रत्यायन

10. विश्वविद्यालय विभिन्न राष्ट्रीय प्रत्यायन संस्थाओं से मान्यता प्राप्त करेगा।

अध्याय -तीन

विश्वविद्यालय के अधिकारी

विश्वविद्यालय के अधिकारी

11. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे:-

(क) कुलाध्यक्ष (विजिटर);

(ख) कुलाधिपति;

(ग) प्रति-कुलाधिपति;

(घ) कुलपति;

(ङ) प्रति-कुलपति;

(च) कुल सचिव;

(छ) संकायाध्यक्ष;

(ज) वित्त अधिकारी; और

(झ) ऐसे अन्य अधिकारी, जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किया जाए।

कुलाध्यक्ष (विजिटर)

12. (1) उत्तराखण्ड के राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष होंगे।

(2) कुलाध्यक्ष, जब उपस्थित हों, तो उपाधियां एवं डिप्लोमा प्रदान करने के लिए आयोजित विश्वविद्यालय दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

(3) कुलाध्यक्ष की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी; अर्थात:-

(क) विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली से सम्बन्धित किसी भी अभिलेख, पत्र या सूचना को मंगाना;

(ख) कुलाध्यक्ष को प्राप्त सूचना के आधार पर, यदि वह संतुष्ट हो कि कोई आदेश, कार्यवृत्त, या निर्णय, जो विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी द्वारा लिया गया हो, अध्यादेश, परिनियम अथवा नियम के अनुरूप नहीं है तो वह ऐसे निर्देश जारी कर सकेंगे, जिन्हें वह विश्वविद्यालय के हित में उचित समझें और इस प्रकार जारी किये गये निर्देशों का सभी सम्बन्धितों द्वारा अनुपालन किया जायेगा;

(ग) मानद उपाधि प्रदान किये जाने का प्रत्येक प्रस्ताव पर कुलाध्यक्ष का अनुमोदन लिया जाना होगा।

- कुलाधिपति** 13. (1) प्रायोजित संस्था अपने सदस्यों में से एक सदस्य या उनके द्वारा सर्वसम्मति से किसी अन्य को कुलाधिपति नियुक्त किया जा सकेगा।
(2) कुलाधिपति को ऐसी शक्तियां प्राप्त होंगी, जो उसे इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये परिणियमों द्वारा प्रदान की जायेंगी।
- प्रति-कुलाधिपति** 14. (1) प्रायोजित संस्था अपने सदस्यों में से एक सदस्य या उनके द्वारा सर्वसम्मति से किसी अन्य को प्रति-कुलाधिपति नियुक्त किया जा सकेगा।
(2) प्रति-कुलाधिपति को ऐसी शक्तियां प्राप्त होंगी, जो उसे इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये परिणियमों द्वारा प्रदान की जायेंगी।
- कुलपति** 15. (1) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार गठित समिति द्वारा संस्तुत तीन व्यक्तियों के पैनल में से तीन वर्ष की अवधि के लिए ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जैसी कि परिणियमों द्वारा विहित की जायें, कुलपति की नियुक्ति की जायेगी।
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे; अर्थात्—
(क) कुलाधिपति;
(ख) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव/सचिव;
(ग) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा नामित तीन सदस्य;
(घ) प्रायोजित संस्था द्वारा नामित एक सदस्य जो कि संयोजक के रूप में नामित किया जायेगा।
(3) समिति योग्यता के आधार पर कुलपति के पद के योग्य तीन व्यक्तियों का पैनल तैयार करेगी और प्रत्येक व्यक्ति की शैक्षिक योग्यताओं तथा अन्य विशिष्टताओं के संक्षिप्त विवरण के साथ उसे व्यवस्थापक मण्डल को अग्रसारित करेगी।
(4) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा, जो कि विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों को लागू करेगा।
(5) जहां अध्यापक की नियुक्ति से भिन्न कोई ऐसा अत्यावश्यक मामला हो, जिसमें तत्काल कार्यवाही करना अपेक्षित हो और उसके सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिए इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विश्वविद्यालय के किसी सशक्त अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा इस पर तत्काल कार्यवाही न की जा सके तो कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से कुलपति ऐसी कार्यवाही कर सकेगा, जो वह उचित समझे।
(6) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिणियमों या नियमावली द्वारा अभिकथित किये जायें।
(7) कुलाधिपति को सम्यक जांच के उपरान्त, व्यवस्थापक मण्डल के अनुमोदन के उपरान्त, कुलपति को हटाने का अधिकार प्राप्त होगा। कुलाधिपति, जांच के दौरान आरोपों की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुये, जैसा वह उचित समझे, कुलपति को निलम्बित कर सकेगा।
- प्रति-कुलपति** 16. प्रति-कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा व्यवस्थापक मण्डल के पूर्वानुमोदन से ऐसी रीति से की जा सकेगी, जैसी कि परिणियमों में विहित की जायें और प्रति-कुलपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिणियमों द्वारा विहित किये जायें।
- कुल सचिव** 17. (1) कुल सचिव की नियुक्ति, कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति से एवं ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर की जायेगी, जैसे कि विहित की जायें।
(2) कुलसचिव, विश्वविद्यालय की ओर से सभी संविदाएं करेगा और उन्हें हस्ताक्षरित करेगा।
(3) कुलसचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेखों को अभिप्रमाणित करने की शक्ति होगी और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिणियमों द्वारा विहित किये जायें, या कुलाधिपति या कुलपति द्वारा समय-समय पर आपेक्षित हों।

(4) कुलसचिव, विश्वविद्यालय के अभिलेखों तथा सामान्य मुद्रा की सम्यक अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा और वह कुलाधिपति, कुलपति या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष ऐसी समस्त सूचनाएँ और दस्तावेज, जो उनके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हों, प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा।

- संकायाध्यक्ष 18. संकायाध्यक्षों की नियुक्ति कुलपति द्वारा कुलाधिपति के पुर्नानुमोदन से ऐसी रीति से की जायेगी कि परिनियमों द्वारा वे ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करें, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।
- वित्त अधिकारी 19. वित्त अधिकारी कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति से नियुक्त किया जायेगा और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग अथवा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो कि परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।
- अन्य अधिकारी गण 20. विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, सेवा के नियम व शर्तें तथा शक्तियां व कर्तव्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

अध्याय - चार

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

- विश्वविद्यालय के प्राधिकारी 21. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे; अर्थात्:-
- (क) व्यवस्थापक मण्डल;
- (ख) प्रबन्ध मण्डल;
- (ग) विद्या परिषद;
- (घ) वित्त समिति; और
- (ङ) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के परिनियमों में प्राधिकारी घोषित किये जायेंगे।

- व्यवस्थापक मण्डल व उसकी शक्तियां 22. (1) व्यवस्थापक मण्डल में निम्नलिखित होंगे:-
- (क) व्यवस्थापक मण्डल के अध्यक्ष व सह अध्यक्ष (यदि हो तो) को प्रायोजित संस्था के सदस्यों में से किसी सदस्य को नामित किया जाएगा।
- (ख) कुलाधिपति - उपाध्यक्ष;
- (ग) कुलपति - सदस्य सचिव
- (घ) कुलाध्यक्ष द्वारा नामित - दो शिक्षाविद
- (ङ) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव/सचिव;
- (च) प्रायोजित संस्था द्वारा नामित - पांच सदस्य
- (छ) प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों के अधिकारियों में से प्रायोजित संस्था द्वारा नामित - दो सदस्य
- (ज) प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठानों के नामित अधिकारियों में से प्रायोजित संस्था द्वारा नामित- दो सदस्य
- (2) व्यवस्थापक मण्डल, विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासनिक संस्था होगी और उसकी निम्नलिखित शक्तियां होंगी; अर्थात्:-
- (क) विश्वविद्यालय द्वारा अनुसरण की जाने वाली नीतियों का निर्धारण;
- (ख) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों के विनिश्चयों का, यदि वे ऐसे अधिनियम या परिनियमों या नियमावली के उपबन्धों के अनुरूप न हों, का पुनर्विलोकन;
- (ग) विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक प्रतिवेदन का अनुमोदन;
- (घ) नई अथवा अतिरिक्त परिनियमों को बनाना या पूर्व में बने परिनियमों अथवा नियमावलियों का संशोधन या निरसन;

- (ड.) विश्वविद्यालय के स्वैच्छिक समापन के सम्बन्ध में विनिश्चय करना;
- (घ.) राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्तावों का अनुमोदन करना;
- (ङ.) ऐसे निर्णय एवं प्रयास करना, जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों, के प्रभावी ढंग से निष्पादन के लिए वांछनीय पाये गये हैं;
- (ज.) विश्वविद्यालय के संवैधानिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना; और
- (झ.) विश्वविद्यालय के सभी खातों को खोलना, बन्द करना, संचालित करना व प्रबन्धन करना।
- (3) व्यवस्थापक मण्डल की वर्ष में न्यूनतम दो बैठकें ऐसे समय और स्थान पर होंगी, जैसा कि व्यवस्थापक मण्डल के अध्यक्ष उचित समझें।

प्रबन्ध मण्डल

23 (1) प्रबन्ध मण्डल में निम्नलिखित सदस्य होंगे; अर्थात् :-

- (क) कुलपति - अध्यक्ष;
- (ख) प्रति-कुलपति (यदि है तो)
- (ग) कुलाधिपति द्वारा नामित एक अधिकारी;
- (घ) प्रायोजित संस्था द्वारा नामित पांच सदस्य;
- (ङ) कुलाधिपति द्वारा नामित चक्रिय आधार पर नामित दो प्राध्यापक;
- (च) कुलाधिपति द्वारा नामित चक्रिय आधार पर दो संकायाध्यक्ष;
- (छ) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा के प्रमुख सचिव/सचिव;
- (ज) कुल सचिव गैर - सदस्य सचिव होगा।

(2) प्रबन्ध मण्डल की शक्तियां एवं कृत्य ऐसे होंगे, जैसा परिनियमों द्वारा विहित किया जाय।

विद्या परिषद

24. (1) विद्या परिषद के निम्नलिखित सदस्य होंगे; अर्थात् :-

- (क) कुलपति - अध्यक्ष;
- (ख) कुल सचिव - सचिव;
- (ग) ऐसे अन्य सदस्य, जैसा परिनियमों में विहित किया जाये।

(2) विद्या परिषद, विश्वविद्यालय की प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों व परिनियमों के अंतर्गत रहते हुए विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों में समन्वय स्थापित करेगी और उनका सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।

(3) विद्या परिषद की शक्तियाँ एवं कृत्य ऐसे होंगे, जैसे परिनियमों द्वारा विहित किये जाए।

वित्त समिति

25. (1) वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे; अर्थात् :-

- (क) कुलपति - अध्यक्ष;
- (ख) वित्त अधिकारी - सचिव;
- (ग) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा के प्रमुख सचिव /सचिव;
- (घ) ऐसे अन्य सदस्य, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

(2) वित्त समिति विश्वविद्यालय की प्रमुख वित्त निकाय होगी, जो वित्तीय मामलों की देखभाल करेगी और इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों, परिनियमों तथा नियमावली के अध्याधीन रहते हुए विश्वविद्यालय के वित्तीय मामलों में समन्वय स्थापित करेगी एवं उसका सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।

(3) वित्त समिति की शक्तियां एवं कृत्य वही होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायेंगे।

अन्य प्राधिकरण

26. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों का गठन, उनकी शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे, जैसे कि परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

- रिक्त के कारण 27. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य न होगी कि कार्यवाही का प्राधिकरण के गठन में कोई रिक्त या त्रुटि विद्यमान थी।
अविधिमान्य न होना

अध्याय—पांच
परिनियम और नियम

- परिनियम 28. इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय तथा कर्मचारियों के सम्बन्ध में सभी या किसी विषय के लिए परिनियम और नियमावली द्वारा व्यवस्था की जा सकती है, जो निम्नवत है—
- (क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के कार्य—सम्पादन और ऐसी इकाईयों के गठन की प्रक्रिया, जो इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट नहीं की गई है;
- (ख) स्थाई विन्यास निधि, सामान्य निधि और विकास निधि का संचालन;
- (ग) कुलपति, प्रतिकुलपति, कुलसचिव और वित्त अधिकारी की नियुक्ति के नियम व शर्तें, तथा उनकी शक्तियाँ व कृत्य;
- (घ) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों, अध्यापकों और कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति और सेवा शर्तें;
- (ङ) विश्वविद्यालय और उसके अधिकारियों, संकाय के सदस्यों कर्मचारियों और छात्रों के मध्य विवाद के निराकरण की प्रक्रिया;
- (च) विभागों और संकायों का सृजन, उत्सादन और उसकी पुनर्संरचना;
- (छ) अन्य विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा की संस्थाओं के साथ सहयोग की रीति;
- (ज) मानद उपाधियों को प्रदान करने की प्रक्रिया;
- (झ) निःशुल्कता और छात्रवृत्तियां प्रदान करना;
- (ञ) विभिन्न पाठ्यक्रमों में सीटों की संख्या तथा ऐसे पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश की प्रक्रिया, जिसमें उत्तराखण्ड के स्थायी निवासियों के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था भी सम्मिलित है;
- (ट) विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों से लिए जाने वाले शुल्क;
- (ठ) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, निःशुल्कता, पदक और पुरस्कार की संस्थित करना;
- (ड) पदों का सृजन और समापन करना;
- (ढ) विश्वविद्यालय के छात्रों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही;
- (ण) अन्य मामले, जो विहित किये जाएं।
- (त) कुलाधिपति की नियुक्ति उनकी शक्तियाँ एवं कृत्य;
- परिनियम कैसे बनाये जायेंगे 29. (1) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा बनाये गये प्रथम परिनियम राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये जायेंगे, जो उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के परिनियमों की प्राप्ति के दिनोंक के तीन माह के अन्दर अपना अनुमोदन दे सकेगी।
- (2) जहाँ राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि में परिनियमों के अनुमोदन के सम्बन्ध में कोई विनिश्चय करने में असफल रहती है, वहाँ यह समझा जायेगा कि राज्य सरकार ने परिनियमों को अनुमोदित कर दिया है।
- परिनियम में संशोधन करने की शक्ति 30. व्यवस्थापक मण्डल राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगा।
- नियम 31. इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुये, निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी विषय के लिए नियमों की व्यवस्था की जा सकती है, जो निम्नवत है; अर्थात्—
- (क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश, उनका नामांकन और इस रूप में बने रहना;

- (ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों और अन्य विशिष्टताओं के लिए निर्धारित किये जाने वाले पाठ्यक्रम;
- (ग) उपाधियों और विद्या सम्बन्धी विशिष्टताओं को प्रदान करना;
- (घ) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियाँ, पदक तथा पुरस्कार प्रदान करने की शर्तें;
- (ङ) परीक्षाओं का संचालन तथा परीक्षा लेने वाले निकायों, परीक्षकों अन्तरीक्षकों, सापणीकारों तथा अनुसीमकों की नियुक्ति की शर्तें और रीति तथा उनके कर्तव्य;
- (च) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों और अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं के लिए लिया जाने वाला शुल्क;
- (छ) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय में छात्रों के निवास की शर्तें;
- (ज) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाए रखने हेतु;
- (झ) छात्रों से विभिन्न विषयों के लिये शुल्क व जमा राशि लिया जाने हेतु;
- (ञ) अन्य सभी विषय, जिनके लिए इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों या परिनियमों में प्राविधान किया जाए।

नियम कैसे बनाए जायेंगे

32. (1) नियम व्यवस्थापक मण्डल द्वारा बनाए जायेंगे और इस प्रकार बनाए गये नियम राज्य सरकार को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जायेंगे, जो कि नियमों की प्राप्ति के दिनोंक से दो माह के अंदर, उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के, अपना अनुमोदन दे सकेगी।
- (2) जहां राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि में नियमों के अनुमोदन के सम्बन्ध में कोई भी विनिश्चय करने में असमर्थ हो तो, वहां यह समझा जायेगा कि राज्य सरकार ने नियमों को अनुमोदित कर दिया है।

नियमों को संशोधित करने की शक्ति

33. व्यवस्थापक मण्डल, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से नए या अतिरिक्त नियम बना सकेगा या नियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगा।

अध्याय-छ

प्रकीर्ण

उत्तराखण्ड के स्थायी निवासियों के लिए उपबन्ध

34. (1) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 40 प्रतिशत उत्तराखण्ड के स्थायी निवासियों के लिए आरक्षित की जायेंगी, यदि स्थायी निवासियों हेतु आरक्षित सीटें खाली रह जाती हैं, तो रिक्त सीटें अन्य छात्रों द्वारा भरी जा सकती हैं।
- (2) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में उपधारा (1) में वर्णित प्रवेशित विद्यार्थियों, जो उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी हों, को निर्धारित शिक्षण शुल्क में 26 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।
- (3) प्रदेश के स्थायी निवासियों को, जो समूह "ग" व "घ" श्रेणी के पदों हेतु योग्यताधारियों की इन श्रेणियों में समस्त पदों पर नियुक्तियाँ की जायेगी।

कर्मचारियों की सेवा शर्तें

35. (1) प्रत्येक कर्मचारी की नियुक्ति एक लिखित संविदा के अधीन की जायेगी, जो विश्वविद्यालय के पास रखी जायेगी और उसकी एक प्रति सम्बन्धित कर्मचारी को दी जायेगी।
- (2) कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही विश्वविद्यालय परिनियमों में निहित प्रक्रिया के अनुसार शासित होगी।
- (3) विश्वविद्यालय और किसी कर्मचारी के बीच संविदा से उत्पन्न होने वाले विवाद का समाधान इस सम्बन्ध में बनाए गए परिनियम की प्रक्रिया के अन्तर्गत किया जाएगा।
- (4) इस अधिनियम में निहित किसी बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को लोक सेवक नहीं समझा जायेगा और वह हमेशा, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये, या अन्यथा, विश्वविद्यालय के निजी रोजगार के अधीन रहेगा।

- अपील का अधिकार 36. विश्वविद्यालय, या किसी संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों, अनुसंधान केन्द्रों और कैरियर एकेडमिक सैण्टर्स के प्रत्येक कर्मचारी को विश्वविद्यालय या किसी ऐसे महाविद्यालय के प्राचार्य, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों और कैरियर एकेडमिक सैण्टर्स के किसी अधिकारी या प्राधिकारी, यथास्थिति विनिश्चय के विरुद्ध प्रबन्ध मण्डल को, ऐसे समय के अन्दर, जो विहित किया जाये अपील करने का अधिकार होगा और उस पर प्रबन्ध मण्डल ऐसे विनिश्चय को, जिसके विरुद्ध अपील की गई है पुष्टि, उपान्तरित या परिवर्तित कर सकेगा।
- भविष्य निधि एवं पेंशन 37. विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित किये जाये, ऐसे भविष्य या पेंशन निधियों का गठन करेगा, जैसा वह उचित समझे।
- विश्वविद्यालय प्राधिकरण और निकायों के गठन के बारे में विवाद 38. यदि यह प्रश्न उत्पन्न हो कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में विधिवत नामित या नियुक्त किया गया है, या उसका सदस्य होने का हकदार है तो वह विषय कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा।
- समितियों का गठन 39. धारा 20 में उल्लिखित विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को ऐसे प्राधिकारी की समिति गठित करने की शक्ति होगी, जिसमें ऐसे सदस्य होंगे और जिनकी ऐसी शक्तियाँ होंगी, जो ऐसा प्राधिकारी उचित समझे।
- आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति 40. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों में से किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति उसी रीति से की जायेगी, जिस रीति से वह सदस्य, जिसकी रिक्ति की पूर्ति करनी हो, चुना गया हो, और रिक्ति की पूर्ति करने वाला व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिए होगा जिसके लिए वह व्यक्ति, जिसका स्थान वह भरता/भरती है, सदस्य बना रहता है।
- सद्भावनापूर्ण की गई कार्यवाही के लिए प्रतिसंरक्षण 41. विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधि कार्यवाही, किसी भी ऐसे विषय के सम्बन्ध में, जो अध्यादेशों या परिनियमों या नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक की गई है, या की जाने के लिए आशयित हैं, संस्थित नहीं होगी।
- संक्रमणकालीन उपबन्ध 42. इस अधिनियम व परिनियमों के किन्हीं अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी:-
 (क) प्रथम कुलपति एवं प्रथम प्रति-कुलपति (यदि कोई है), की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा व्यस्थापक मण्डल के पूर्वानुमोदन से की जायेगी और उक्त अधिकारी तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा;
 (ख) प्रथम कुलसचिव और प्रथम वित्त अधिकारी की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा व्यस्थापक मण्डल के पूर्वानुमोदन से की जायेगी और उक्त अधिकारी तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा;
 (ग) प्रथम व्यवस्थापक मण्डल तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए पद धारण करेगा;
 (घ) प्रथम प्रबन्ध मण्डल, प्रथम वित्त समिति और प्रथम विद्या परिषद् का गठन, कुलाधिपति द्वारा व्यस्थापक मण्डल के पूर्वानुमोदन से तीन वर्ष की अवधि के लिये किया जाएगा।
- स्थायी विन्यास निधि 43. विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार के नाम से प्लेज्ड पाँच करोड़ रुपये की एक स्थायी विन्यास निधि राष्ट्रीयकृत बैंक की बैंक गारंटी के रूप में स्थापित की जायेगी, जिसकी अवधि पाँच वर्ष की होगी, उसके उपरान्त पुनः पाँच वर्ष के लिए नवीनीकरण कराया जायेगा।
- सामान्य निधि 44. (1) विश्वविद्यालय द्वारा एक सामान्य निधि स्थापित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी; अर्थात् :-
 (क) विश्वविद्यालय द्वारा लिये जाने वाले सभी शुल्क;
 (ख) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त समस्त धनराशि;

- (ग) प्रायोजित संस्था द्वारा किये गये सभी अंशदान; और
 (घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान/दान।
- (2) सामान्य निधि में जमा धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के सभी आवर्तक व्ययों के लिये किया जायेगा।

विकास निधि

45. (1) विश्वविद्यालय द्वारा एक विकास निधि भी स्थापित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित निधियां जमा की जायेंगी; अर्थात् :-
- (क) विकास शुल्क, जिसे छात्रों से प्रभारित किया जाये;
- (ख) विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजन के लिए किसी अन्य स्रोत से प्राप्त समस्त धनराशि;
- (ग) प्रायोजित संस्था द्वारा किये गये सभी अंशदान;
- (घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान/दान; और
- (ङ) स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त समस्त आय।
- (2) समय-समय पर विकास निधि में जमा की गयी धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास के लिए किया जायेगा।

निधि का अनुरक्षण

46. धारा 43, 44 और 45 के अधीन स्थापित निधियों को, व्यवस्थापक मण्डल के सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन रहते हुये, विहित रीति से विनियमित और अनुरक्षित किया जायेगा।

वार्षिक प्रतिवेदन

47. (1) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रबन्ध मण्डल के निर्देशों के अधीन तैयार किया जायेगा और उसे व्यवस्थापक मण्डल को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जायेगा।
- (2) व्यवस्थापक मण्डल, अपनी बैठक में वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करेगा और वह उसे उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के अनुमोदित कर सकता है।
- (3) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा विधिवत अनुमोदित वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त हुए वित्त वर्ष के अनुवर्ती 31 दिसम्बर से पहले कुलाध्यक्ष (विजिटर) और राज्य सरकार को प्रेषित की जायेगी।

लेखा व लेखा परीक्षा

48. (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा और तुलन पत्र प्रबन्ध मण्डल के निर्देशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और किसी भी स्रोत से विश्वविद्यालय को प्रोद्भूत या प्राप्त समस्त धनराशि और ऐसी समस्त धनराशि की, जिनका संवितरण या भुगतान किया गया हो, विश्वविद्यालय द्वारा रखे गये लेखों में प्रविष्टि की जायेगी।
- (2) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा की प्रतिवर्ष लेखा-परीक्षक द्वारा लेखा-परीक्षा की जायेगी, जो इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स ऑफ इण्डिया (आई.सी.ए.आई.) के सदस्य हों।
- (3) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के साथ वार्षिक लेखाओं और तुलन-पत्र की एक प्रति प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के अनुवर्ती 31 दिसम्बर से काफी पहले व्यवस्थापक मण्डल को प्रस्तुत की जायेगी।
- (4) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा वार्षिक लेखा, तुलन-पत्र और लेखा-परीक्षा सम्बन्धी प्रतिवेदन पर अपनी बैठक में विचार किया जायेगा और व्यवस्थापक मण्डल उन्हें उन पर अपनी अभ्युक्तियों के साथ प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर से पहले कुलाध्यक्ष (विजिटर) और राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा।

- विश्वविद्यालय के 49. विश्वविद्यालय के कब्जे में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, अमिलेख को सिद्ध करने की रीति सूचना, आदेश, कार्यवाही या संकल्प या अन्य दस्तावेज या विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक, रूप से विधिवत रखी गई किसी पूंजी की कोई प्रविष्टि यदि कुल सचिव द्वारा प्रमाणित हो तो उसे ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज के या पंजिका में प्रविष्टि होने के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा और उसमें अभिलिखित विषय और संव्यवहार के लिए साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण किया जायेगा, जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गई हो, तो वह साक्ष्य के रूप में स्वीकार होगी।
- विश्वविद्यालय का 50. (1) यदि प्रायोजित संस्था द्वारा मदरहुड विश्वविद्यालय के गठन और निगमन नियंत्रित करने वाली विधि विघटन के अनुसार उसके समापन का प्रस्ताव रखती हो तो उसे राज्य सरकार को कम से कम तीन माह का लिखित नोटिस देना होगा।
- (2) विश्वविद्यालय की प्रबन्ध प्रणालियों में कुप्रबन्ध, कुप्रशासन, अनुशासनहीनता, विश्वविद्यालय के उद्देश्य की पूर्ति में विफल होना एवं आर्थिक कठिनाईयों की पहचान किये जाने पर राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के प्रबन्ध व्यवस्था को निर्देश जारी करेगी, जिनका ऐसी समय सीमा के अधीन, जैसी विहित की जाय; अनुपालन न होने पर विश्वविद्यालय के परिसमापन का निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकार में निहित होगा।
- (3) विश्वविद्यालय का परिसमापन ऐसी रीति से किया जायेगा, जो इस विषय राज्य सरकार द्वारा विहित किये जाये; परन्तु यह कि उसके लिए प्रायोजित संस्था को 'कारण बताओ नोटिस' के लिए समुचित अवसर प्रदान किये बिना ऐसी कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की जायेगी।
- (4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस के प्राप्त होने पर राज्य सरकार सांविधिक परिषद् एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से परामर्श करके प्रायोजित संस्था द्वारा विश्वविद्यालय विघटन के प्रस्तावित दिनांक से और जब तक विश्वविद्यालय के नियमित पाठ्यक्रमों में छात्रों का अन्तिम बैच अपने पाठ्यक्रमों को ऐसी रीति से पूरा न कर ले, विश्वविद्यालय के प्रशासन की ऐसी व्यवस्था करेगा, जैसी परिनियमों द्वारा विहित की जाये।
- (5) विश्वविद्यालय के विघटन पर सभी सम्पत्ति एवं दायित्व प्रायोजित संस्था में निहित हो जाएगी।
- विश्वविद्यालय के 51. (1) धारा 50 के अधीन विश्वविद्यालय का प्रबन्ध ग्रहण करने की अवधि के दौरान उसके प्रशासन के विघटन के समय लिये होने वाला व्यय स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि से पूरा किया जायेगा। विश्वविद्यालय के व्यय (2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधियां, विश्वविद्यालय का प्रबन्ध ग्रहण करने की अवधि के दौरान उसके प्रशासन के लिए पर्याप्त नहीं है, तो ऐसे व्यय की पूर्ति विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों अथवा आस्तियों के निस्तारण द्वारा की जा सकती है।
- कठिनाईयों का 52. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार निराकरण अधिसूचना या आदेश द्वारा ऐसे प्राविधान कर सकती है, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और जो कठिनाईयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :
- परन्तु यह कि उपधारा (1) के अधीन कोई अधिसूचना या आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं दिया जायेगा।
- (2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा।

आज्ञा से,

जय देव सिंह,
प्रमुख सचिव।

No. 343/XXXVI(3)/2015/82(1)/2014
Dated Dehradun, January 19, 2015

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of "the Motherhood University Bill, 2014" (Adhiniyam Sankhya 05 of 2015).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 07 January, 2015.

THE MOTHERHOOD UNIVERSITY ACT, 2014

(Uttarakhand Act No. 05 of 2015)

An
Act

to establish and incorporate a Private University in the name of "Motherhood University" at Rurkee promoted by Institute of Management & Technology Society registered under Societies Registration Act, 1860 at Roorkee, Uttarakhand to provide and facilitate education, training and research in the areas of Technical education, Higher education, Medical and Dental education, Legal education, Aviation education, Social Sciences, General Sciences and other areas of education.

It is hereby enacted by Uttarakhand State Legislature in the sixty-fifth Year of the Republic of India as follows:

CHAPTER-1

Preliminary

- Short title and Commencement** 1. (1) This Act may be called the "Motherhood University" Act, 2014.
(2) It shall be deemed to have come into force on the date, the notification is issued by State Government in the Official Gazette.
- Definitions** 2. In this Act, unless the context otherwise required:-
(a) "Academic Council" means the Academic Council of the University;
(b) "Authorities" means Authorities of the University;
(c) "Board of Governors" means the Board of Governors of the University;

- (d) **“Board of Management”** means the Board of Management of the University;
- (e) **“Board of Studies”** means the Board of Studies of the University;
- (f) **“Board of Examinations”** means Board of Examinations of the University;
- (g) **“Chancellor”, Pro-Chancellor, “Vice Chancellor”, “Pro Vice Chancellor”, “Registrar”, “Controller of Examinations”, and “Finance Officer”** respectively means the “Chancellor”, Pro-Chancellor, “Vice Chancellor”, “Pro Vice Chancellor”, “Registrar”, “Controller of Examinations”, and “Finance Officer” of the University;
- (h) **“Campus”** means the campus of the University;
- (i) **“Constituent College”** means a college or institution maintained by the University;
- (j) **“Career Academy Centre”** means such centre which is established, conducted and recognized by the University for the purposes of acceptance of e-mails, internet, interactive talk, training, lectures, conduct of seminar and workshops, guidelines, consultation or any type of necessary help for students;
- (k) **“Director”** of campus or Principal/Dean regarding Constituent College means the Head of that campus or Constituent College and where there is no Director/Principal/Dean appointed, any other person for the time being appointed is also included;
- (l) **“Distance Education System”** means the system of imparting education within the State through any means of information technology and communication such as multimedia, broadcasting, telecasting, online over internet, other interactive methods, e-mails, internet, computer, interactive talk, e-learning, correspondence courses, seminars, contact programmes or a combination of any two or more of such means;
- (m) **“Deposits”** means collection made by the University from the students under the name Deposits, which is refundable;
- (n) **“Dean of Faculty”** means the Dean of Faculty of the University;
- (o) **“Department”** means a department (Academic Unit) of a college, teaching and undertaking research in a subject or a group of subjects;
- (p) **“Employee”** means employee appointed by the University; and includes teachers and other staff of the University or of Constituent College;
- (q) **“Finance Committee”** means Finance Committee of the University;

- (r) **"Faculty"** means faculty of the University;
- (s) **"Fee"** means collection made by the University from the students under the name Fee, which is not refundable;
- (t) **"Government"** means the State Government of Uttarakhand;
- (u) **"Hall" or "Hostel"** means a unit for residence for students maintained or recognized by the University or Constituent College;
- (v) **"Motherhood Institute of Mangement & Technology Society"** means a society registered under The Society Registration Act, 1860, having registered office at MIMT Compound Vill- Karoundi, Post- Bhagwanpur, Roorkee, 247667;
- (w) **"Promoting Society"** means Motherhood Institute of Management & Technology Society, registered under The Society Registration Act, 1860;
- (x) **"Prescribed"** means prescribed by the Statutes;
- (y) **"Permanent Resident"** means any resident of the state who has the valid domicile/ permanent resident certificate issued by the prescribed authority as per the rules framed by the State Government from time to time;
- (aa) **"Regional Centre"** means a centre established or maintained by the University for the purpose of co-ordinating and supervising the work of Study Centres in any region and for performing such other functions as may be conferred on such centre by the Board of Management;
- (bb) **"State"** means State of Uttarakhand;
- (cc) **"Statutes", "Rules" and "Ordinance"** means, respectively, the "Statutes", "Rules" and "Ordinance" of the University made under this Act;
- (dd) **"Study Centre"** means a centre established, maintained or recognized by the University for the purpose of advising, counselling or for rendering any other assistance required by the students;
- (ee) **"Teacher"** means a Professor/Dean, Associate Professor, Assistant Professor/Lecturer or such other person as may be appointed for imparting instruction or conducting research in the University or in Constituent Colleges and institution and includes the Principal/ Dean of the Constituent College;
- (ff) **"UGC"** means the University Grants Commission established under the University Grants Commission Act, 1956;

- (gg) "University" means the "Motherhood University" under this Act;
- (hh) "Bodies" means the bodies of the University constituted by the relevant authorities;
- (ii) "Visitor" means the Visitor of the University.

CHAPTER - II
The University and its Objects

**Proposal for
the
Establishment
of University**

3. (1) The Promoting Society means Motherhood Institute of Management Technology Society, Roorkee, Uttarakhand shall have the right to establish the Motherhood University in accordance with the provisions of this Act.
- (2) An application containing the proposal to establish a University has been made to the State Government by Promoting Society.
- The proposal contained the following particulars, namely:-
- (a) the objects of the University alongwith the details of Promoting Society;
- (b) the extent and status of the University and the availability of land;
- (c) the nature and type of programs of study and research to be undertaken in the University during a period of the next five years;
- (d) the nature of faculties, courses of study and research proposed to be started;
- (e) the campus development such as buildings, equipment and structural amenities;
- (f) the phased outlays of capital expenditure for a period of the next five years;
- (g) the item-wise recurring expenditure, sources of finance and estimated expenditure for each student;
- (h) the scheme for mobilizing resources and the cost of capital thereto and the manner of repayments to each source;
- (i) the scheme of generation of funds internally through the recovery of fee from students, revenues anticipated from consultancy and other activities relating to the objects of the University and other anticipated incomes;
- (j) the details of expenditure on unit cost, the extent of concessions or rebate in fee, free ship and scholarship for students who are permanent resident of the State and the fee structure indicating varying rate of fee, if any, that would be levied on non resident Indians and students of other nationalities;
- (k) the years of experience and expertise in the concerned discipline at the command of Promoting Society as well as the detail of financial resources;

- (l) the system for selection of students to the courses of study at the University;
- (m) Status of fulfillment of such other conditions as may be required by the State Government to be fulfilled before the establishment of the University.

Establishment of University

4. (1) Where the State Government, after such inquiry is satisfied that Promoting Society, has fulfilled the conditions, norms and requirements for establishment of Motherhood University, hence a University to be known as Motherhood University is hereby established.
- (2) The University shall be a body corporate by the name "Motherhood University" and shall have a perpetual succession and a common seal and shall sue and be sued by its name.
- (3) (a) The main campus of the University shall be at Roorkee, Uttarakhand.
It may also have Campuses or regional centers, study centers at other places provided that the procedures established by the UGC and other statutory bodies shall be complied with. The University can open its second campus within the State after 5 (five) years of its coming into existence with prior approval of the State Government. The University can open other campuses any time in a hill region located at an altitude greater than 2500 feet without any time limit,
- (b) However, to establish new faculties where additional land would be required as per norms of the concerned regulatory body, the University shall establish a split campus either adjoining or nearby within Roorkee.
- (4) The Chancellor, the Pro-Chancellor, the Vice-chancellor, Pro-Vice Chancellor, Registrar, members of the Board of Governors, members of Board of Management and the Academic Council for the time being holding office as such in the University so established, shall constitute a body corporate and can sue and be sued in the name of the University.
- (5) On the establishment of the University under sub-section (1), the land and other moveable and immoveable properties acquired, created, arranged or built by Promoting Society, for the purpose of the University shall stand transferred to, and vest in the University.
- (6) The available land, building, various department/faculties of the University shall be must according the standard of Apex Regulatory Commission.

- (7) The infrastructural and other facilities of the University campus, off campus center, study center etc. shall be maintained as per the standards laid down by the UGC and other apex regulatory bodies.

State not under any Statutory Obligation to grant Financial Assistance to the University

5. The University shall be self financing and shall neither make a demand nor shall be entitled to any grant-in-aid or any other financial assistance from the State Government or any other body or corporation owned or controlled by the State Government. However the University shall be entitled to receive any such grant which may be granted under any special scheme of the State Government or any other body or corporation. This shall have no effect on the self-finance status of the University.

No Power to Affiliate Any Institution

6. The University may have off-campus centers, Constituent Colleges, Regional Centres, Study Centres and Career Academic Centres but shall have no power to admit any other college or institution to the privileges of affiliation.

Objects of the University

7. The objectives for which the University is established areas follows:-
- (a) to provide instructions, teaching, training and research in all disciplines pertaining to Technical education, Higher education, Medical and Dental education, Legal education, Aviation education, Social Sciences, General Sciences and other areas of education;
 - (b) to establish campuses or Constituent Colleges of Technical education, Higher education, Medical and Dental education, Legal education, Aviation education, Social Sciences, General Sciences and other areas of education for offering certificate, diploma, graduate degree, post graduate degree and Doctoral degree which would be as nominated by the University Grants Commission but the University shall, have the right to start other diploma and certificate courses in furtherance of its Objectives;
 - (c) to establish a Constituent Centre for Continuing Education to provide instructions through the distance learning methodology for the courses mentioned in programs as given in clause (b) above;
 - (d) to establish examination centres;
 - (e) to institute degrees, diplomas, certificates, and other academic distinctions on the basis of examination, or any other such method;

- (f) to establish research and development centre to promote research and innovations in the Technical education, Higher education, Medical and Dental education, Legal education, Aviation education, Social Sciences, General Sciences and other areas of education through Seminars, conferences, workshops, educational programmes, community development program, publications, training programmes, and study groups etc.;
- (g) to undertake extra-mural studies, extension programmes and field outreach activities to contribute to the development of the society;
- (h) to set up Off-shore campuses as per the provision laid down by UGC.
- (i) to pursue any other objective as may be approved by the Board of Governors within the rules of the State Government and UGC;

**Powers of
the University**

8. (1) The University shall have the following powers; namely:-
- (a) to provide for instructions in all disciplines pertaining to Technical education, Higher education, Medical and Dental education, Legal education, Aviation education, Social Sciences, General Sciences and other areas of education and to make provision for research and for the advancement and dissemination of knowledge;
 - (b) to carry out all such other activities as may be necessary or feasible in furtherance of the objects of the University;
 - (c) to hold examinations for, and to institute grant and confer degrees or other academic distinctions to, and on, persons, who:
 - (1) have pursued a course of study in the University or in a constituent College or through its distance education system at Regional Centre/ Study Centre/ Career Academy Centre; or
 - (2) have carried on research in the University or in a constituent body or under its distance education center;
 - (d) to confer honorary degrees or other academic distinctions in the manner and under conditions laid down in the Statutes/Provisions;
 - (e) to institute and award fellowships, scholarships and prizes etc. in accordance with the Statutes;
 - (f) to demand and receive such fees, deposits, bills, invoices and collect charges as may be fixed by the Statutes or rules, as the case may be;

- (g) to establish, maintain and recognize such Regional Centres and Study Centres as may be determined by the University from time to time in the manner laid down by the Statutes after the completion of five years of the University. In this regard the guidelines of the State Government and UGC as applicable from time to time shall be followed;
- (h) to make provisions for extra curricular activities for students and employees;
- (i) to make appointments of faculty, officers and employees of the university or a Campus College, Constituent College, Regional Centres, Study Centres, Research Centres, Career Academy Centre;
- (j) to receive donations and gifts of any kind and to acquire, hold, manage, maintain and dispose of any movable or immovable property, for the purpose of the University or a Constituent College, or a Regional Centre, Study Centre and Career Academy Centre with prior permission of the Promoting Society;
- (k) to institute and maintain halls/hostels and to recognize places of residence for students of the University or a Constituent College;
- (l) to supervise and control the residence of students and to regulate the discipline among the students and all categories of employees and to lay down the conditions of service of such employees including their Code of Conduct;
- (m) to create Academic, Administrative, and Supporting staff and other necessary posts;
- (n) to co-operate and collaborate with other Universities, Institutions, Organizations, Individuals, Industries and Societies in India and abroad in such a manner and for such purposes as the University may determine from time to time;
- (o) to provide distant education system and the manner in which distance education in relation to the academic programmes of the University may be organized;
- (p) to organize and conduct refresher course, orientation courses, workshops, seminars and other programmes for teachers, lesson writers, evaluators and other academic staff;
- (q) to determine standards of admission to the University or a Constituent College, Regional Centres, Study Centres, with the approval of Academic Council;

- (r) to make special provision for permanent resident of Uttarakhand for admission in any course of the University or in a Constituent College, Regional Centre, Study Centre, Research Centre and Career Academic Centre as per merit;
 - (s) to prescribe such courses for Bachelor Degree, Post Graduate Degree, Doctor of Philosophy, Doctor of Science Degree and Research and to start Diploma, Certificates in Technical education, Higher education, Medical and Dental education, Legal education, Aviation education, Social Sciences, General Sciences and other areas of education which would be covered by UGC and other statutory bodies;
 - (t) to clearly set apart the academic activities of the University from the activities of the Promoting Society;
 - (u) to provide for the preparation of instructional materials, including films, cassettes, tapes, video cassettes, CD, DVD and other softwares;
 - (v) to recognise examinations of, or periods of study (whether in full or in part) of other Universities, Institutions or other places of higher learning as equivalent to examinations or periods of study in the University and to withdraw such recognition at any time;
 - (w) to raise, collect, subscribe and borrow funds with the approval of the Board of Governors whether on the security of the property of the University, money for the purposes of the University;
 - (x) to enter into, carry out, amend or cancel contracts;
 - (y) to do all such other acts or things whether incidental to the powers aforesaid or not, as may be necessary to further the objects of the University;
 - (z) to sue or be sued in its own name as a Legal Entity in any Court of Law, Tribunal or Authority through its authorized officer.
- (2) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force but without prejudice to the provisions of sub-section (1), it shall be the duty of the University to take all such steps as it may deem fit for the promotion of the university and distance education system and for the determination of standards of teaching, evaluation and research in such systems and for the purpose of performing this function, the University shall have such powers, including the power to allocate and disburse grants to Colleges, Regional Centres and Study Centres and Career

Academy Centres, whether admitted to its privileges or not or to any other University or institution of higher learning, as may be specified by the Statutes.

University open to all classes, castes, creed and gender

9. The University shall be open to all persons irrespective of class, caste, creed or, gender ;

Provided that nothing in this section shall be deemed to prevent the University from making special provisions for admission to permanent resident of Uttarakhand ;

Provided further that nothing in this section shall be deemed to require the University or constituent colleges or Regional Centres or Study Centres or Career Academy Centres to admit in any course of study a larger number of students than may be determined by the statutes;

National Accreditation

10. The University shall seek accreditation from respective national accreditation bodies.

CHAPTER – III

Officers of the University

University's Officers

11. The following shall be the officers of the University; namely:-

- (a) the Visitor;
- (b) the Chancellor;
- (c) the Pro-Chancellor;
- (d) the Vice-Chancellor;
- (e) the Pro Vice-Chancellor;
- (f) the Registrar;
- (g) the Deans of Faculties;
- (h) the Finance Officer; and
- (i) such other officers as may be declared by the Statutes to be officers of the University.

Visitor

12. (1) The Governor of Uttarakhand will be the Visitor of the University.
- (2) The Visitor shall, when present, preside at the convocation of the University for conferring degrees and diplomas.
- (3) The Visitor shall have the following powers namely:-
 - (a) To call for information relating to the affairs of the University;
 - (b) On the basis of the information received by the Visitor, if he is satisfied that any order, proceeding, or decision taken by any authority of the University is not in conformity with the Decision, Act, Regulations, Statutes, or Rules, he may issue such directions as he may deem fit in the interest of the University and the directions so issued shall be complied by all concerned.

(c) Every proposal for the conferment of an honorary degree shall be subject to the approval of the Visitor.

**The
Chancellor**

13. (1) The Chancellor may be appointed from amongst or by the members of the Promoting Society.
- (2) The Chancellor shall have such powers as may be conferred on him by this Act or the Statutes made thereunder.

**The Pro-
Chancellor**

14. (1) The Pro-Chancellor may be appointed from amongst or by the members of the Promoting Society.
- (2) The Pro-Chancellor shall have such powers as may be conferred on him by this Act or the Statutes made thereunder.

**The Vice-
Chancellor**

15. (1) The Vice-Chancellor shall be appointed on such terms and conditions as may be prescribed by the statutes for a term of three years by the Board of Governors from a panel of three persons recommended by the Committee constituted in accordance with the provisions of sub-section (2).
- (2) The Committee referred to in sub-section (1) shall consist of the following persons, namely:-
- (a) Chancellor;
 - (b) The Principal Secretary/Secretary to the State Government in the Higher Education Department;
 - (c) Three nominees of the Board of Governors;
 - (d) One person nominated by the Promoting Society, who shall be the convenor of the committee.
- (3) The committee shall, on the basis of merit, prepare a panel of names of three persons suitable to hold the office of the Vice-Chancellor and forward the same to the Board of Governors alongwith a concise statement showing the academic qualifications and other distinctions of each person.
- (4) The Vice-Chancellor shall be the Principal executive and academic officer of the University and shall exercise general supervision and control over the affairs of the University and give effect to the decisions of the authorities of the University.
- (5) Where any matter other than the appointment of a teacher is of urgent nature requiring immediate action and the same could not be immediately dealt with by any officer or the authority or other body of the University empowered by or under this Act to deal with it, the Vice-Chancellor may take such action as he may deem fit with the prior approval of the Chancellor.

- (6) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers and perform such other duties as may be laid down by the Statutes or the rules.
- (7) The Chancellor after due approval from the Board of Governors is empowered to remove the Vice-Chancellor after due enquiry. It will be open to the Chancellor to suspend the Vice-Chancellor during enquiry depending upon the seriousness of the charges, as he may deem fit.
- The Pro-Vice Chancellor** 16. A Pro-Vice-Chancellor may be appointed by the Chancellor with prior approval of the Board of Governors in such manner and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by Statutes.
- The Registrar** 17. (1) The Registrar shall be appointed by the Chancellor in such manner and on such terms and conditions as may be prescribed.
- (2) All contracts shall be entered into and signed by the Registrar on behalf of the University.
- (3) The Registrar shall have the power to authenticate records on behalf of the University and shall exercise such other powers and perform such other duties as may be prescribed or may be required from time to time, by the Chancellor or the Vice-Chancellor.
- (4) The Registrar shall be responsible for the due custody of the records and the common seal of the University and shall be bound to place before the Chancellor, the Vice-Chancellor or any other authority, all such information and documents as may be necessary for transaction of their business.
- Deans of Faculties** 18. Deans of faculties shall be appointed by the Vice-Chancellor with approval of Chancellor in such manner and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by Statutes.
- The Finance Officer** 19. The Finance Officer shall be appointed by the Chancellor in such manner and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by the Statutes.
- Other Officer** 20. The manner of appointment, terms and conditions of service and powers and duties of the other officers of the University shall be such as may be prescribed by the Statutes.

CHAPTER - IV

Authorities of the University

- Authorities of the University** 21. The following shall be the authorities of the University; namely:-
- (a) The Board of Governors;
- (b) The Board of Management;

- (c) The Academic Council;
- (d) The Finance Committee; and
- (e) Such other authorities as may be declared by the Statutes to be authorities of the University.

**The Board of
Governors and
its powers**

22. (1) The Board of Governors shall consist of:-
- (a) Chairman and Co-chairman (if any) of the Board of Governors shall be nominated from amongst the members of the Promoting Society;
 - (b) The Chancellor - Vice Chairman;
 - (c) The Vice-Chancellor - Member Secretary;
 - (d) Two Academicians nominated by the Visitor;
 - (e) Principal Secretary/Secretary to the State Government in the Higher Education Department ;
 - (f) Five members nominated by the Promoting Society;
 - (g) Two members nominated by the Chairman, Promoting Society from reputed higher education institutions;
 - (h) Two members nominated by the Chairman, Promoting Society from reputed industrial/ corporate sector/ reputed practicing professionals.
- (2) The Board of Governors shall be the Principal Governing Body of the University and shall have the following powers, namely:
- (a) to lay down policies to be pursued by the University;
 - (b) to review decisions of the other authorities of the University if they are not in conformity with the provisions of this Act, or the Statutes or the Rules;
 - (c) to approve the budget and annual report of the University;
 - (d) to make new or additional Statutes or amend or repeal the earlier Statutes and Rules; .
 - (e) to take decision about voluntary winding up of the University;
 - (f) to approve proposals for submission to the State Government; and
 - (g) to take such decisions and steps as are found desirable for effectively carrying out the objects of the University;
 - (h) to appoint the Statutory Auditors of the University;
 - (i) to open, close, operate and manage accounts of the University.
- (3) The Board of Governors shall, meet at least twice in a year at such time and place as the Chairman, Board of the Governors thinks fit.

**The Board of
Management**

23. (1) The Board of Management shall consist;namely:-
- (a) The Vice-Chancellor - Chairman;
 - (b) The Pro Vice-Chancellor, if any;

- (c) One member nominated by the Chancellor;
 - (d) Five members, nominated by the Institute of Mangement & Technology Society, Roorkee;
 - (e) Two Professors of the University, by rotation as nominated by the Chancellor;
 - (f) Two Deans of the faculties, by rotation as nominated by the Chancellor;
 - (g) Principal Secretary/Secretary to the State Government of the Higher Education Department;
 - (h) The Registrar shall be non-member Secretary;
- (2) The Board of Management shall be the Principal Managing body of the University.
- (3) The powers and functions of the Board of Management shall be such as may be prescribed by the Statutes.

The Academic Council

24. (1) The Academic Council shall consist of :-
- (a) the Vice-Chancellor - Chairman.
 - (b) the Registrar - Secretary;
 - (c) such other members as may be prescribed in the Statutes.
- (2) The Academic Council shall be the Principal Academic Body of the University and shall, subject to the provisions of this Act, the Rules and the Statutes, co-ordinate and exercise general supervision over the academic policies of the University.
- (3) The powers and functions of the Academic Council shall be such as may be prescribed by the Statutes.

The Finance Committee

25. (1) The Finance Committee shall consist of, namely:-
- (a) the Vice-Chancellor - Chairman;
 - (b) the Finance Officer - Secretary;
 - (c) Principal Secretary/Secretary to the State Government of the Higher Education Department;
 - (d) such other members as may be prescribed In the Statutes.
- (2) The Finance Committee shall be the principal financial body of the University to take care of financial matters and shall, subject to the provisions of this Act, Rules, Statutes, co-ordinate and exercise general supervision over the financial matters of the University.

- (3) The powers and functions of the Finance Committee shall be such as may be prescribed by the Statutes.

Other Authorities

26. The constitution, powers and functions of the other authorities of the University shall be such as may be prescribed by the Statutes.

Proceedings not invalidated on account of vacancy

27. No act or proceeding of any authority of the University shall be invalid merely by reason of the existence of any vacancy or defect in the constitution of the authority.

CHAPTER - V

Statutes and Rules

Statutes

28. Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for any matter relating to the University and staff, as follows:-
- (a) transaction of business of the Authorities of the University and procedure of constitution of such units, which is not specified in this Act;
 - (b) the operation of the permanent endowment fund, the general fund and the development fund;
 - (c) the terms and conditions of appointment of the Vice-Chancellor, Pro Vice-Chancellor, Registrar and the Finance Officer and their powers and functions;
 - (d) the mode of recruitment and the conditions of service of the other officers, teachers and employees of the University;
 - (e) resolving disputes between the University and its officers, faculty members, employees and students;
 - (f) creation, abolition or restructuring of departments and faculties;
 - (g) the manner of co-operation with other Universities or institutions of higher learning;
 - (h) conferment of honorary degrees;
 - (i) grant of freeships and scholarships;
 - (j) number of seats in different courses of studies and the procedure of admission of students to such courses including reservation of seats for permanent resident of Uttarakhand;
 - (k) the fee chargeable from students for various courses of studies;
 - (l) institution of fellowships, scholarships, studentships, freeships, medals and prizes;
 - (m) creation and abolition of posts;
 - (n) disciplinary action against students/ employee of the University;

- (o) other matters which may be prescribed and deemed necessary for framing of the Statutes.
- (p) appointment of the chancellor his power and functions;

Statutes how made

29. (1) The first Statutes made by the Board of Governors shall be submitted to the State Government for its approval, which may, within three months from the date of receipt of the Statutes give its approval with or without modification.
- (2) Where the State Government fails to take any decision with respect to the approval of the Statutes within the period specified under sub-section (1) it shall be deemed to have been approved by the State Government.

Power to amend the Statutes

30. The Board of Governors may, with the prior approval of the State Government, make new or additional Statutes or amend or repeal the existing Statutes.

Rules

31. Subject to the provisions of this Act, the Rules may provide for all or any of the following matters, namely:-
- (a) Admission of students to the University and their enrolment and continuance as such;
 - (b) The courses of study to be laid down for all degrees and other academic distinctions of the University;
 - (c) The award of degrees and other academic distinctions;
 - (d) The conditions of the award of fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes;
 - (e) The conduct of examinations and the conditions and mode of appointment and duties of examining bodies, examiners, invigilators, tabulators and moderators;
 - (f) The fee to be charged for admission to the examinations, degrees and other academic distinctions of the University;
 - (g) The conditions of residence of the students at the University or a Constituent College;
 - (h) Maintenance of discipline among the students of the University or a Constituent College;
 - (i) The Fee and Deposits chargeable from students for various courses of studies;
 - (j) All other matters as may be provided in the Statutes and rules under the Act.

- Rules how made** 32. (1) The Rules shall be made by the Board of Governors and the rules so made shall be submitted to the State Government for its approval, which may, within two months from the date of receipt of the rules, give its approval with or without modifications.
- (2) Where the State Government fails to take any decision with respect to the approval of the rules within the period specified under sub-section (1), it shall be deemed to have been approved by the State Government.
- Power to amend Rules** 33. The Board of Governors may, with the approval of the State Government, make new or additional rules or amend or repeal the Rules.

CHAPTER-VI

Miscellaneous

- Provisions for Permanent Resident of Uttarakhand** 34. (1) For admission in various courses conducted by the University, 40 percent seats shall be reserved for the permanent residents of State of Uttarakhand, and if the reserved seats are vacant, then the said vacant seats may be filled by the other candidates.
- (2) For tuition fees fixed for various courses conducted by the University, 26 percent rebate shall be given to the permanent residents of the State of Uttarakhand who shall seek admission as per sub-clause (1) above.
- (3) All posts of Group 'C' and 'D' employees shall be filled by the permanent residents of the State of Uttarakhand.
- Conditions of Service of employees** 35. (1) Every employee shall be appointed under a written contract, which shall be kept in the University and a copy of which shall be furnished to the employee concerned.
- (2) Disciplinary action against any employee shall be governed by procedure prescribed in the Statutes.
- (3) Any dispute arising out of the contract between the University and an employee shall, be resolved by the procedure prescribed by the relevant Statutes.
- (4) Notwithstanding anything contained in this Act, the employees of the University shall not be deemed to be public servant and would always remain as under the private employment of the University for the purpose of this Act or otherwise.
- Right to appeal** 36. Every employee or student of the University or of a Constituent College, Regional Centre, Study Centre and Career Academy Centres shall, notwithstanding anything contained in this Act, have a right to appeal

within such time as may be prescribed, to the Board of Management against the decision of any officer or authority of the University or of the Principal of any such Constituent College, Regional Centre, Study Centre and Career Academy Centres, as the case may be, and there upon the Board of Management may confirm, modify or change the decision appealed against.

Provident Fund and Pensions

37. The University shall constitute for the benefit of its employees such provident or pension fund and provide such insurance scheme as it may deem fit in such manner and subject to such conditions as may be prescribed.

Disputes as to constitution of University Authorities and Bodies

38. If any question arises as to whether any person has been duly nominated or appointed as, or is entitled to be a member of any authority or other body of the University, the matter shall be referred to the Chancellor, whose decision thereon shall be final.

Constitution of Committees

39. Any authorities of the University mentioned under section 20 will be empowered to constitute a committee of such authority, consisting of such members and having such powers as the authority may deem fit.

Filling of Casual Vacancies

40. Any casual vacancy among the members, other than ex-officio members, of any Authority or body of the University shall be filled in the same manner in which the member whose vacancy is to be filled up, was chosen, and the person filling the vacancy shall be a member of such authority or body for the residue of the term for which the person whose place he/she fills would have been a member.

Protection of action taken in good faith

41. No suit or other legal proceedings shall lie against any officer or other employee of the University for anything, which is done in good faith or intended to be done in pursuance of the provisions of this Act, the Statutes or the Rules.

Transitional Provisions

42. Notwithstanding anything contained in any other provisions of this Act and the Statutes:

- (a) The first Vice-Chancellor and Pro-Vice-Chancellor, if any shall be appointed by the Chancellor after due approval from the Board of Governors and the said officer shall hold office for a term of three years;
- (b) The first Registrar and the first Finance Officer shall be appointed by the Chancellor after due approval from the Board of Governors who shall hold office for a term of three years;
- (c) The first Board of Governors shall hold office for a term not exceeding three years;

- (d) The first Board of Management, the first Finance Committee and the first Academic Council shall be constituted by the Chancellor after due approval from the Board of Governors for a term of three years.
- Permanent Endowment Fund** 43. The University shall establish a permanent endowment fund of Rs. Five crore in the form of a Bank Guarantee of a Nationalized Bank pledged in the name of State Government of Uttarakhand which tenure shall be five years and after that shall be renewed for five years again.
- General Fund** 44. (1) The University shall establish a general fund to which the following amount shall be credited, namely:-
- (a) all fees which may be charged by the University;
 - (b) all sums received from any other source;
 - (c) all contributions made by the Promoting Society;
 - (d) all contributions/donations made in this behalf by any other person or body, which are not prohibited by any law for the time being in force.
- (2) The funds credited to the general fund shall be applied to meet all the recurring expenditure of the University.
- Development Fund** 45. (1) The University shall also establish a development fund to which the following funds shall be credited, namely:-
- (a) development fees which may be charged from students;
 - (b) all sums received from any other source for the purposes of the development of the University;
 - (c) all contributions made by the Promoting Society;
 - (d) all contributions/donations made in this behalf by any other person or body which are not prohibited by any law for the time being in force;
 - (e) all incomes received from the permanent endowment fund.
- (2) The funds credited to the development fund from time to time shall be utilized for the development of the University.
- Maintenance of Fund** 46. The funds established under sections 43, 44 and 45 shall, subject to general supervision and control of the Board of Governors, be regulated and maintained in such manner as may be prescribed.
- Annual Report** 47. (1) The annual report of the University shall be prepared under the direction of the Board of Management and shall be submitted to the Board of Governors for its approval.
- (2) The Board of Governors shall consider the annual report in its meeting and may approve the same with or without modification.

(3) A copy of the annual report duly approved by the Board of Governors shall be sent to the Visitor and the State Government before 31 December following close of the financial year in 31 March each year.

**Account and
Audit**

48. (1) The annual accounts and balance sheet of the University shall be prepared under the direction of the Board of Management and all funds accruing to or received by the University from whatever source and all amount disbursed or paid shall be entered in the accounts maintained by the University.
- (2) The annual accounts of the University shall be audited by an auditor, who is a member of the Institute of Chartered Accountants of India (I.C.A.I.), every year.
- (3) A copy of the annual accounts and the Balance sheet together with the audit report shall be submitted to the Board of Governors well before 31 December following close of the financial year in 31 March each year.
- (4) The annual accounts, the Balance sheet and the audit report shall be considered by the Board of Governors at its meeting and the Board of Governors shall forward the same to the Visitor and the State Government alongwith its observations thereon before the 31st December each year.

**Mode of proof
of University
record**

49. A copy of any receipt, application, notice, order, proceeding or resolution of any authority or committee of the University or other documents in possession of University or any entry in any register duly maintained by the University, if certified by the Registrar, shall be received as prima facie evidence of such receipt, application, notice, order, proceeding, resolution or document or the existence of entry in the register and shall be admitted as evidence of the matters and transaction therein recorded where the original thereof would, if produced, have been admissible in evidence.

**Dissolution of
University**

50. (1) If Promoting Society proposes dissolution of the "Motherhood University" in accordance with the law governing its constitution or incorporation, it shall give at least three months notice in writing to the State Government.
- (2) On identification of mismanagement, mal-administration, in-discipline, failure in the accomplishment of the objects of University and economic hardships in the management systems of University, the State Government would issue directions to the management system of

University, if the directions are not followed within such time as may be prescribed, the right to take decision for winding up of the University would vest in the State Government.

- (3) The manner of winding up of the University would be such as may be prescribed by the State Government in this behalf :

Provided that no such action will be initiated without affording a reasonable opportunity to show cause to the Promoting Society;

- (4) On receipt of the notice referred to in sub-section (1), the State Government shall, in consultation with University Grant Commission, make such arrangements for administration of the University from the proposed date of dissolution of the "Motherhood University" and until the last batch of students in regular courses of studies of the University complete their courses of studies in such manner as may be prescribed by the Statutes.
- (5) On the dissolution of the University, all the assets and liabilities of the University shall vest in the Promoting Society.

Expenditure of University during dissolution

51. (1) The expenditure for administration of the University during the dissolution of the University under section 50 shall be met out of the permanent endowment fund, the general fund or the development fund.
- (2) If the funds referred to in sub-section (1) are not sufficient to meet the expenditure of the University during the dissolution of the University, such expenditure may be met by disposing of the properties or assets of the University.

Removal of Difficulties

52. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by a notification or order, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Bill, as appear to it to be necessary or expedient, for removing the difficulty:

Provided that no notification order under sub-section (1) shall be made after the expiration of a period of three years from the commencement of this Act.

- (2) Every order made under sub-section (1) shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State legislature.

By Order,

JAI DEO SINGH,
Principal Secretary.